राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 131/2016

नाथू लाल दरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, संस्कृत, राधा कृष्ण शिक्षा संकुल, तृतीय मंजिल, जे.एल.एन. रोड, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, 179, रमेश मार्ग सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2016
आदेश की दिनांक : 24.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. बैग, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2015 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड प्रथम (स्कूल व्याख्याता) के पद पर कार्य करने दिया जावे। अध्यापक ग्रेड द्वितीय एवं ग्रेड तृतीय पद पर प्रत्यावर्तित न किया जावे और रिक्ति वर्ष 1997–98 के बजाय 1995–96 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे। किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जावे तथा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, नरेडा फागी, जयपुर में प्रधानाचार्य के चार्ज का वेतन दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 08.03.1989 को हुई थी। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.1994 के द्वारा दिनाक 01.04.1994 से स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.09.1998 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ वर्ष 1990 एवं 1991 में नियुक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर

पदोन्नति दी गई तथा अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1260/2000 दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.11.2002 द्वारा अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को तीन माह में अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति देने के आदेश दिए गए। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.11.2002 के द्वारा उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। आदेश दिनांक 29.05.2004 के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–2 संस्कृत के पद पर वर्ष 1997/1998 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2014 के द्वारा वर्ष 2012–2013 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–1 (साहित्य) के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया और आदेश दिनांक 01.05.2014 के द्वारा प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया। उक्त आदेशानुसार अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड–2 की वर्ष 1997–1998 से 2006–2007 तक की पदोन्नति दिए जाने हेतु रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा वर्ष 1997–1998 में अपीलार्थी के स्थान पर श्री हुकुम सिंह (सामान्य) को चयनित किया गया। अपीलार्थी को 15 वर्ष पश्चात पदावनत किया जा रहा जो न्याय के सिद्वान्त के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं आलोच्य आदेश दिनांक 10.08.2015 जो पदोन्नत समिति द्वारा जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित किया जाना बताया गया है, को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड प्रथम (स्कूल व्याख्याता) के पद पर कार्य करने दिया जावे। अध्यापक ग्रेड द्वितीय एवं ग्रेड तृतीय पद पर प्रत्यावर्तित न किया जावे और रिक्ति वर्ष 1997–98 के बजाय 1995–96 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया जावे। किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं की जावे तथा राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, नरेडा फागी, जयपुर में प्रधानाचार्य के चार्ज का वेतन दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपील संख्या 1260/2000 के आदेश दिनांक 14.11.2002 में अधिकरण द्वारा लालचंद खैरवा की बी.ए. संस्कृत/बी.एड. योग्यताधारी अध्यापक ग्रेड–2 संस्कृत पद पर की गई पदोन्नति के आधार पर अपीलार्थी की श्री खैरवा के समान शैक्षणिक योग्यता के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति देने के आदेश दिए गए और रिक्त पद होने के कारण जब तक वहां

प्राचार्य की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक के लिए कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। अपीलार्थी प्रथम श्रेणी शिक्षक होने के कारण उसी संस्था में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया न कि अपीलार्थी को प्राचार्य पद पर नियुक्त की गई है। उसे प्राचार्य पद का दायित्व विभाग द्वारा सौंपा गया है। अपीलार्थी द्वितीय श्रेणी पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं रखते हैं। वांछित योग्यता शास्त्री न होने के कारण अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं की गई। श्री खैरवा (अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार) की द्वितीय श्रेणी (संस्कृत) शिक्षक पद पर पदोन्नति गलत दे दी गई है, जिसे रिव्यू करने की कार्यवाही की जा रही है। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 08.11.2013 को पारित कर अपीलें स्वीकार की गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7274/2014 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री भुवनेश्वर प्रसाद त्रिवेदी व अन्य दायर की गयी, जिसमें अधिकरण के आदेश को अपास्त कर दिया गया तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 द्वारा अधिकरण के आदेश को उचित मानते हुए अग्रिम कार्यवाही के आदेश दिए, जिसकी पालना में कार्यवाही की जा रही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2002 की पालना में आदेश दिनांक 24.05.2004 के द्वारा अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 2014 में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–1 के पद पर पदोन्नत किया गया, जो नियमानुसार पदोन्नति दी गई है। उनका कथन है कि 12 वर्ष बाद रिव्यू डीपीसी कर पुनः अपीलार्थी को प्रत्यावर्तित किया जाना नियम एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर दिनांक 08.03.1989 को हुई थी। वर्ष 1990 एवं 1991 में अपीलार्थी से कनिष्ठ नियुक्त कार्मिकों को अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति दी गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा अधिकरण में अपील संख्या 1260/2000 दायर की गई और अधिकरण द्वारा दिनांक 14.11.2002 को आदेश पारित किया गया तथा प्रत्यर्थी विभाग को तीन माह में अध्यापक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति देने के आदेश दिए गए और आदेश दिनांक 29.05.2004 के द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड–2 संस्कृत के पद पर वर्ष 1997/1998 की रिक्ति

के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2014 के द्वारा वर्ष 2012–2013 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–1 (साहित्य) के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापित किया और आदेश दिनांक 01.05.2014 के द्वारा प्रधानाचार्य का चार्ज दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय एवं ग्रेड तृतीय पद पर प्रत्यावर्तित न किए जाने और रिक्ति वर्ष 1997–98 के बजाय 1995–96 में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार लाभ प्रदान किए गए हैं तथा अग्रिम कार्यवाही भी माननीय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा उक्त पारित निर्णय की पालना में की जा रही है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में हम बल नहीं पाते हैं। इसलिए अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो वह विभाग में अभ्यावेदन देने हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य